

**कार्यालय, नज़ारत अनुभाग जनपद न्यायालय बागपत।**


**विज्ञप्ति**


सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 4355/एडमिन. (बी०-प्रथम) दिनांकित 23.11.2021 के द्वारा पी०डब्लू०डी० मेरठ के अधिशासी अभियन्ता विद्युत खण्ड पी०डब्लू०डी० मेरठ के पत्र संख्या 820/1A दिनांकित 07-08-2019 में वर्णित नीलामी हेतु निर्धारित दर के आधार पर नये नियमानुसार इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

----- जनपद न्यायालय बागपत स्थित परिसर मे रखे गये निष्प्रयोज्य उपकरणो जैसे- 03 नग एयर कण्डीशनर, 01 नग 15 के०वी०ए० जनरेटर सैट, 01 नग 7.5 के०वी०ए० जनरेटर सैट, 04 नग फैक्स मशीन, 03 नग फोटो कापी मशीन, की नीलामी नियमानुसार दिनांक 23.12.2021 को 01:30 बजे सभागार कक्ष, जनपद न्यायालय बागपत में नीलामी नियमानुसार कराई जायेगी। उपरोक्त समाग्री की न्यूनतम निर्धारित धनराशि अंकन 32,490/- है। उपरोक्त नीलामी वित्त-पथ -2019 भण्डार का रखरखाव एवं निस्तारण, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच भाग-1 के परिशिष्ट- 19 (घ) मे उल्लेखित नियमानुसार पूर्व नीलाम समिति की आख्या दिनांकित 04.06.2019 के "अधीन जहां जैसे हैं,, (as is where is) के आधार पर नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

निष्प्रयोज्य समाग्री की नीलामी की हेतु समय से पूर्व बोली बोलने से पूर्व बोलीदाताओं को ठेके की बतौर अग्रिम धरोहर धनराशि (बतौर अग्रिम धनराशि 10,000/- रूपये) बैंक डाफ्ट/नगद रूप से केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग मे जमा कराना होगा। जो नीलामी स्वीकार होने पर उक्त धनराशि में समायोजित हो जायेगी अन्यथा अगले कार्य दिवस को अन्य सभी की धरोहर राशि वापस कर दी जायेगी।


शेष नियम व अन्य शर्ते किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग के नोटिस बोर्ड पर या नज़ारत अनुभाग, जनपद न्यायालय बागपत से प्राप्त की जा सकती है।

  
सुशील कुमार-तृतीय,  
सदस्य, नीलामी समिति/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
न्यायालय संख्या-04  
बागपत


  
शैलेन्द्र पाण्डेय  
अध्यक्ष, नीलामी समिति/  
विशेष अपर जिला एवं सत्र  
न्यायाधीश (एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट)  
बागपत

**प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को प्रकाशनार्थ एवं सूचना पटल पर लगाने हेतु प्रेषित।**

1. माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. जनपद न्यायालय बागपत, नगर पालिका बागपत, विकास भवन, के नोटिस बोर्ड पर।
3. सूचना अधिकारी को एक स्थानीय व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में जी0 ओ 0 नं0-562/उन्नीस-2-2007-1007(टी0 सी0) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
4. जिला कलैक्ट्रेट बागपत, तहसील बागपत, जिला पंचायत बागपत, के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
5. नगर पालिका बागपत के नोटिस बोर्ड पर।
- 6- केन्द्रीय नाजिर बागपत को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

  
(शैलेन्द्र पाण्डेय)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(विशेष),  
(एस.सी./एस.टी. एक्ट) बागपत।

  
14/11/2021  
District Judge  
Baghat